फर्द अहकाम

महेन्द्र मोहन उर्फ महेन्द्र कुमार बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी), सांगानेर

आर.टी.आई. अपील संख्या 01/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.01.2018	पत्रावली पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस प्रार्थी एवं रेस्पों0 जारी हो। टिप्पणी रेस्पों. तलब होकर पत्रावली दिनांक 05.02.2018 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	क्रमांक 64-65 11-1-2018
05.02.2018	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट् अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी, सांगानेर की टिप्पणी क्रमांक आरटीआई /अपील–1/एडीएम द्वितीय/18/247 दिनांक 19.01.2018 प्राप्त। शामिल मिसल रहे। अपीलान्ट् ने अपने अपील प्रार्थना पत्र में कथन किया हैं कि उसके द्वारा एक लिखित आवेदन पर लोक सेवको के ज्वाईनिंग रजिस्टर, पदस्थापन आदेशो, पे–बिल, पे–स्लिप्स, पे–स्केल्स के दस्तावेजात् की प्रमाणित प्रतियां चाही गई थी, जो उन्हें नहीं दी गई। प्रत्यर्थी द्वारा जानबूझ कर चाही गई सूचनाये नहीं दी गई जबकि अधिनियम की धारा 4(1) (क) (ख) के तहत 120 दिन के अन्दर प्रत्यर्थी द्वारा प्रकाशित किया जाना बाध्यकारी था। अपीलान्ट् के कथन पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी ने वांछित सूचना तृतीय पक्ष से संबधित होने के कारण देय नहीं होना अपीलान्ट्–प्रार्थी को सूचित किया हैं। नियमो में प्रावधान हैं कि तृतीय पक्ष सूचना हेतु तृतीय पक्ष को आवेदन तिथि से 5 दिन में नोटिस देगा कि क्या सूचना प्रकट कर दी जावे। प्रकरण में तृतीय पक्ष को बिना नोटिस दिये ही सूचना देने से इन्कार किया हैं, जो उचित नहीं हैं। अतः राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि अधिनियम के प्रावधानुसार तृतीय पक्ष को नोटिस दिया जाकर पुनः न्याय–संगत निर्णय लिया जावे। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	SPIO का 59 ... 247 19-1-18 ... 359-6 19-2-